

न्यायालय उप जिलाधिकारी, छाता जनपद मथुरा

वाद संख्या 78 / वर्ष 2010-11

बी०डी०एम० महाविद्यालय द्वारा अध्यक्ष दिगम्बरसिंह

बनाम

धारा 143 ज०वि०अधिनियम

उत्तर प्रदेश सरकार

मौजा पैगाव तहसील छाता

आदेश

प्रार्थी श्री दिगम्बर सिंह पुत्र परसुराम निवासी पैगाव तहसील छाता अध्यक्ष बी०डी०एम० महाविद्यालय पैगाव ने धारा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम से आच्छादित प्रार्थना पत्र दिनांक 10-8-11 ने इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की काश्त भूमि खाता संख्या 369 खसरा संख्या 235 रकवा 4-282 हेक्टेयर स्थित मौजा पैगाव में रकवा 1-011 हेक्टेयर लगान 15.45रू० पर हिस्सा के अनुसार बतौर संक्रमणीय भूमिधर काबिज दखील है। यह कि उक्त भूमि कृषि अथवा कृषि से संबंधित किसी भी प्रयोजन में नहीं रही है और न ही वर्तमान में है। यह कि प्रार्थी उक्त भूमि को आबादी घोषित कराया जाना आवश्यक है। अंत में प्रार्थना की है कि उक्त भूमि को आबादी घोषित कर राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि दर्ज करायी जाए। प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व अभिलेख नकल खतौनी एवं खसरा को संलग्न किया है। इस प्रकरण की स्थलीय जांच का दायित्व तहसीलदार छाता को सौंपा गया और आख्या चाही गई। तहसीलदार छाता की जांच आख्या दिनांक 20-08-11 पत्रावली पर उपलब्ध है। जांच आख्या में उक्त भूमि को आबादी घोषित किए जाने की संस्तुति की गई है।

चूंकि जांच अधिकारी तहसीलदार छाता से प्राप्त जांच आख्या से यह समाधान हो जाता है कि प्रार्थी श्रीदिगम्बर सिंह पुत्र परसुराम निवासी पैगाव तहसील छाता अध्यक्ष बी०डी०एम० महाविद्यालय पैगाव खाता संख्या 369 खसरा संख्या 235 रकवा 4-282 हेक्टेयर स्थित मौजा पैगाव में रकवा 1-011 हेक्टेयर पर हिस्सा के अनुसार बतौर संक्रमणीय भूमिधर काबिज दखील है जांच आख्या में उक्त प्रश्नगत भूमि पर कोई फसल आदि नहीं है अपितु मौके पर आबादी के रूप में प्रयोग में लाई जा रही है जिसे आबादी घोषित किए जाने की संस्तुति अंकित की गई है। तहसीलदार छाता ने लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की आबादी घोषणा हेतु प्रस्तुत की गई आख्या एवं संस्तुति को सम्पुष्टि करते हुए प्रार्थी की उक्त अंश भूमि को आबादी घोषित किए जाने हेतु अपनी संस्तुति प्रेषित की है। अतः जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट से सहमत होते हुए उक्त भूमि को निम्नांकित प्रारूप पर आबादी घोषित किया जाता है:-

1-धारा जिसके अंतर्गत घोषणा की जा रही है-

2-मौजा जहां भूमि स्थित है -

3-खसरा संख्या व रकवा

4-मालगुजारी

धारा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम

मौजा पैगाव तहसील छाता

ख०स० 235 रकवा 4-282 में से


मात्र रकवा 1-011 हेक्टेयर भूमि

14-45 रूपया

जांच अधिकारी तहसीलदार छाता की जांच आख्या/संस्तुति दिनांक 20-8-11 इस आदेश का अंग रहेगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार छाता को राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि दर्ज कराने हेतु तथा उप निबंधक छाता को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज कर इस वाद पत्रावली को दाखिल दफतर कर दिया जाए।

दिनांक- 20 अगस्त, 2011

TRUE-COPY


Sd/- M. S. D. O. CHATA
M. S. D. O. CHATA




(राजपाल सिंह)
उपजिलाधिकारी, छाता